



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 216-2025/Ext.]

चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 29 दिसम्बर, 2025

(8 औष, 1947 शक)

### विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग—I	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग—II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग—III	प्रत्यायोजित विधान	
	अधिसूचना संख्या साठकाठनि० 20/संविं०/अनु० 309/2025, दिनांक 29 दिसम्बर, 2025— हरियाणा सिविल सेवा (कर्मचारी शाखा) संशोधन नियम, 2025.	3207—3209
भाग—IV	शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं	

**भाग-III****हरियाणा सरकार****कार्मिक विभाग****अधिसूचना**

दिनांक 29 दिसम्बर, 2025

**संख्या सांकाठनि० 20/संवि०/अनु० 309/2025.**— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) संशोधन नियम, 2025 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008 में, नियम 11 में, उपनियम (1) में, मद II और III के स्थान पर, निम्नलिखित मदें प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्—

**“II मुख्य लिखित परीक्षा:**

इसमें 6 प्रश्न पत्र होंगे	: (कुल 600 अंक)
प्रश्न पत्र I : अंग्रेजी (अंग्रेजी निबंध सहित)	: 100 अंक
प्रश्न पत्र II : हिन्दी(हिन्दी निबंध सहित)	: 100 अंक
प्रश्न पत्र III : सामान्य अध्ययन—I	: 100 अंक
प्रश्न पत्र IV : सामान्य अध्ययन-II	: 100 अंक
प्रश्न पत्र V : सामान्य अध्ययन-III	: 100 अंक
प्रश्न पत्र VI : सामान्य अध्ययन-IV	: 100 अंक

टिप्पणी:

- (i) परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र परम्परागत (निबंध) प्रकार का होगा।
- (ii) प्रत्येक पेपर की अवधि तीन घन्टे होगी।
- (iii) भाषा या साहित्य पेपर को छोड़कर, उम्मीदवारों को सभी प्रश्न पत्रों, के उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी में देने का विकल्प होगा।

**(III) व्यक्तित्व परीक्षा : 75 अंक**

- (i) मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित किए जाने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों, यदि कोई हों, सहित विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से बारह गुण होगी। इसी प्रकार व्यक्तित्व परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों, यदि कोई हों, सहित विज्ञापित रिक्तियों का तीन गुण होगी। भूतपूर्व सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के अंशितों को सभी पेपरों में बैठना अनिवार्य होगा।
- (ii) किसी भी उम्मीदवार को व्यक्तित्व/मौखिक परीक्षा के लिए तब तक नहीं बुलाया जाएगा, जब तक उसने सभी लिखित पेपरों के कुल योग के कम से कम पैतालीस प्रतिशत अंक प्राप्त न किए हों और हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में प्रत्येक में कम से कम तैतीस प्रतिशत (33%) अंक प्राप्त न किए हों। तथापि, जहां बैचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, आयोग 45% अंकों की उक्त सीमा को घटा कर 35% अंक तक कर सकता है। अंतिम चयन, उम्मीदवारों द्वारा प्रयोग किए गए सेवा के अधिमान को ध्यान में रखते हुए मुख्य लिखित परीक्षा तथा व्यक्तित्व/मौखिक परीक्षा में अर्थात् 675 अंकों में से उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाने वाली वरिष्ठता सूची पर आधारित होगा। उम्मीदवार अपने अपने उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में लिखेंगे (भाषा या साहित्य पेपरों को छोड़कर)। जब तक अन्यथा निर्देशित न हों, सामान्य ज्ञान (I से IV) के पेपरों के उत्तर या तो अंग्रेजी भाषा में या हिन्दी भाषा में दिए जाएंगे, किन्तु किसी भी उम्मीदवार को किसी एक पेपर के उत्तर आंशिक रूप से हिन्दी और आंशिक रूप से अंग्रेजी में देने की अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवारों को इन पेपरों के उत्तर किसी अन्य माध्यम में देने के विकल्प के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, किन्तु हिन्दी भाषा या साहित्य पेपरों को छोड़कर, पेपर द्विभाषी अर्थात् अंग्रेजी और हिन्दी में तैयार किए जाएंगे।

(iii) मुख्य लिखित परीक्षा स्नातक स्तर की होगी और उसका पाठ्यक्रम, सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। उसके बाद, सरकार, आयोग के परामर्श से, राजपत्र में अधिसूचित करने के बाद प्रारम्भिक या मुख्य परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन/ संशोधन /पुनरीक्षण कर सकती है।

(iv) आवेदन प्ररूप की लागत और परीक्षा फीस, सरकार से परामर्श करके आयोग द्वारा विनिश्चित की जाएगी। आवेदन प्ररूप की प्राप्ति की अंतिम तिथि तक परीक्षा के लिए विहित फीस जमा करवाने में असफल रहने पर उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य ठहराएगा:

परन्तु सरकार, लिखित में कारण लिपिबद्ध करते हुए किसी विशेष वर्ष में परीक्षा आयोजित करने की अपेक्षा को अभिमुक्त कर सकती है।

(2) परीक्षा के लिए नियत तिथि का नोटिस राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

टिप्पणी—यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवारों द्वारा मुख्य लिखित परीक्षा और व्यक्तित्व/मौखिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक बराबर हैं, तो मुख्य लिखित परीक्षा के ऐपरों में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को योग्यता में उच्चतर माना जाएगा। यदि ऐसे उम्मीदवारों के मुख्य लिखित परीक्षा के ऐपरों के कुल अंक भी बराबर हैं, तो आयु में बड़े उम्मीदवार को योग्यता में उच्चतर माना जाएगा।”।

अनुराग रस्तोगी,  
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

### HARYANA GOVERNMENT

### PERSONNEL DEPARTMENT

#### Notification

The 29th December, 2025

**No. G.S.R. 20/Const./Art.309/2025.**—In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Civil Service (Executive Branch) Rules, 2008, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Civil Service (Executive Branch) Amendment Rules, 2025.
2. In the Haryana Civil Service (Executive Branch) Rules, 2008, in rule 11, in sub-rule (1) for items II and III, the following items shall be substituted, namely:-

**“II” Main Written Examination:**

***It shall comprise of 6 papers*** : (Total 600 marks)

***Paper I: English (Including English Essay)*** : 100 marks

***Paper II: Hindi (including Hindi Essay)*** : 100 marks (in Devnagri Script)

***Paper III: General Studies-I*** : 100 marks.

***Paper IV: General Studies-II*** : 100 marks.

***Paper V: General Studies-III*** : 100 marks.

***Paper VI: General Studies-IV*** : 100 marks

***Note:***

- (i) The question papers for the examination shall be of conventional (essay) type.
- (ii) Each paper shall be of three hours' duration.
- (iii) Candidates shall have the option to answer all the question papers, except the language or literature papers, in English or Hindi.

(III) Personality Test : 75 marks

- (i) Total number of candidates to be admitted to the Main Written examination shall be twelve times the number of advertised vacancies, including bracketed candidates, if any. Similarly, the total number of candidates to be called for personality test shall be three times, including bracketed candidates, if any, of the advertised vacancies. Ex-Servicemen and dependents of the Ex-Serviceman shall also have to appear in all the papers.
- (ii) No candidate shall be called for Personality/Viva-voce test unless he attains forty-five percent marks in the aggregate of all the written papers and a score of minimum thirty-three percent (33%) marks each in English and Hindi Language. However, where sufficient numbers of candidates being persons with benchmark disabilities are not available, the Commission may lower the said limit of 45% marks upto 35 % marks. The final selection shall be based on the merit list to be prepared on the basis of total marks obtained by the candidate in the Main Written Examination and Personality / Viva-voce Test i.e. out of 675 marks and keeping in view the preference of services exercised by the candidates. The candidates shall write their answers in Hindi or English (except the language or literature papers). The papers of General studies (from I to IV) unless otherwise directed, shall be answered either in Hindi language or English Language but no candidate shall be permitted to answer any one paper partly in Hindi and partly in English. The candidates shall not be allowed the option to answer these papers in any other medium but the papers except Hindi Language or literature papers shall be set bilingual i.e. in English and Hindi.
- (iii) The syllabi for Main Written examination which shall be of graduate level, shall be notified by the Government. Thereafter, the Government in consultation with the Commission may change/ amend/ revise the syllabus for the Preliminary or Main Examination after notifying in Official Gazette.
- (iv) The cost of application form and examination fee shall be decided by the Commission in consultation with the Government. Failure to deposit the fees prescribed for the Examination by the last date of receipt of application form shall render a candidate ineligible to appear in the Examination.

Provided that the Government may for reasons to be recorded in writing, dispense with the requirement of holding the examination in a particular year.

(2) Notice of the date fixed for Examination shall be published in the official Gazette.

**Note.-** “If the total marks of Main Written Examination and Personality Test/Viva-voce obtained by two or more candidates are equal, the candidate securing higher marks in the papers of Main Written examination shall be considered higher in merit. If the total marks of main written papers of such candidates are still equal, then the candidate older in age shall be considered higher in merit.”.

ANURAG RASTOGI,  
Chief Secretary to Government, Haryana.